(125)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/मन्दसौर/भू.रा./2017/1598 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–4–2017 पारित द्वारा तहसीलदार, मन्दसौर प्रकरण कमांक 08/अ–13/2016–17.

1– किशनसिंह पिता देवीदीन चारण
2– भारतसिंह पिता देवीदीन चारण
3– कंचन कुंवर पति इन्द्रदान उर्फ इन्द्रसिंह चारण
4– नंदकुंवर पति गोपालदास चारण
निवासीगण ग्राम राजाखेडी
तहसील व जिला मन्दसौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– भुवानदान पिता मिट्ठूदास चारण
2– मनोहरसिंह पिता मिट्ठूदास चारण
3– हेमरसिंह पिता मिट्ठूदास चारण
निवासीगण ग्राम राजाखेडी
तहसील मन्दसौर .....अनावेदकगण

सुश्री ममता सोनी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए.आर. यादव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–4–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, मन्दसौर के समक्ष संहिता की धारा 131 एवं सहपठित संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम राजाखेडी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 736/2 रकबा 0.283 हेक्टयर, 737/2 रकबा 0.704 हेक्टयर अनावेदक कमांक 1 की व सर्वे नम्बर

736/1 रकबा 0.251 हेक्टयर, 583/3 रकबा 0.105 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 584 रकबा 0.345 हेक्टयर अनावेदक कमांक 2 मनोहर सिंह एवं सर्वे नम्बर 736/3 रकबा 0.080 हेक्टेयर, 737/1 रकबा 0.150 हेक्टेयर, 737/3 रकबा 0.452 हेक्टेयर, 754/1 रकबा 0.044 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 3 हेमरसिंह के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि हैं । अनावेदकगण अपने स्वत्व की भूमि पर आने–जाने हेतु रूढ़िगत रास्ते का उपयोग राजाखेडी से अमलावद जाने वाले रास्ते से सर्वे नम्बर 601 व 600 में से होकर सर्वे नम्बर 590 व 598 के मध्य मेढ़ से होते हुए सर्वे नम्बर 591 व 592 के मध्य मेढ़ से सर्वे नम्बर 585 व 583 की मेढ़ से होकर करते रहे हैं, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–13/2016–17 दर्ज कर दिनांक 18–4–2017 को रास्ता खुलवाये जाने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 22–9–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदकगण की ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण, निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों तथा अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रकिया एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण की फसल खड़ी हुई थी एवं मौके पर कोई रास्ता नहीं होने के बावजूद भी स्थल निरीक्षण में रास्ता मानकर आदेश पारित किया गया है ।

(3) तहसील न्यायालय ने सर्वे नम्बर 591 में पड़त भूमि मानकर व रास्ता होना मान्य किया गया है, जबकि उक्त सर्वे नम्बर पर कोई रास्ता नहीं है ।

(4) तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण ने संहिता की धारा 32 का जवाब प्रस्तुत किया था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा बिना पढ़े तथा शपथ पत्र को बिना देखे अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शा को विश्वसनीय मानकर संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में गंभीर भूल की है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा उभय पक्ष एवं पड़ोसी कृषकों के समक्ष स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसमें अनावेदकगण द्वारा बताये अनुसार अपनी भूमि पर आने–जाने का मार्ग रूढ़िगत एवं व्हेवही, जो कि अनावेदकगण के बाप–दादाओं के समय से चला आ रहा होना पाया गया है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर नजरी नक्शा बनाया गया है, जिसमें आवेदकगण द्वारा जो रास्ता अवरूद्ध किया गया है, वह बिन्दु ए से ई तक दर्शाया गया है । अतः तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है और यदि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार कर ली गई तो अनावेदकगण की सोयाबीन की फसल, जो कि शीघ्र कटने वाली है, उस फसल को घर लाने हेतु और कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से फसल बर्बाद हो जायेगी तथा आगे गेहूं–चने की फसल भी नहीं बो सकेंगे । अतः आवेदकगण की निगरानी निरस्त किया जाये ।

(4) आवेदकगण द्वारा मौके के विपरीत स्थिति बताकर वास्तविकता को छिपाते हुए तहसील न्यायालय के आदेश का कियान्वयन स्थगित करवा लिया गया था, जबकि अनावेदकगण के पास उनकी भूमि पर आने–जाने हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध ही नहीं है, इस बिन्दु पर विचार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

(5) आवेदकगण तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण में लम्बान डालने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा मौके पर जाकर जो स्थल निरीक्षक, पंचनामा व टीप इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, वह विधिवत स्थल निरीक्षण उपरान्त बनाई गई है, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया है ।

(7) पूर्व में भी उभयय पक्ष के मध्य इसी रास्ते के सम्बन्ध में प्रकरण चला है व अनावेदकगण का अपनी भूमि पर आने–जाने हेतु एकमात्र विवादित रास्ता ही माना है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, पंचनामा एवं

नजरी नक्शा तैयार किया गया है । स्थल निरीक्षण में अनावेदकगण के आने–जाने के मार्ग को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना एवं अनावेदकगण को अपनी भूमि में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना नहीं पाया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अन्तरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः प्रकरण में तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण–दोष पर शीघ्र अन्तिम निर्णय लेवें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–4–2017 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर